संख्या-79/2022/1375/22-4-2021-48(63)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-31 मार्च, 2022

विषय- विभिन्न कारागारों में बैरक के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32860/नम-3/2021-22, दिनांक-12.10.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-612/22-4-2021-48(8)/18टीसी, दिनांक 12.08.2021 में नामित कार्यदायी संस्था **(यू0पी0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0)** द्वारा गठित आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया केन्द्रीय कारागार , फतेहगढ़ में 30 क्षमता की 04 नग बैरक का निर्माण, जिला कारागार, फतेहगढ़ में 30 क्षमता की 02 नग बैरक का निर्माण, जिला कारागार, इटावा में 30 क्षमता की 01 नग बैरक का निर्माण एवं केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में 05 नग एकल कक्ष अस्पताल के निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार योजना की कुल लागत रू0 574.46 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु रू0 1,44,00,000/- (रूपया एक करोड़ चौवालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	**कारागार का नाम**	**कार्य का नाम**	**आगणन की लागत**	**अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	*केन्द्रीय कारागार , फतेहगढ़*	*30 क्षमता की 04 नग बैरक का निर्माण*	309.34	77.50
2	*जिला कारागार , फतेहगढ़*	*30 क्षमता की 02 नग बैरक का निर्माण*	158.39	39.50
3	*जिला कारागार , इटावा*	*30 क्षमता की 01 नग बैरक का निर्माण*	81.36	20.50
4	*केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़*	*05 नग एकल कक्ष अस्पताल के निर्माण*	25.37	6.50
		योग-	**574.46**	**144.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा ।

(3) प्रस्तावित पम्प हाऊस में उपकरणों की खरीद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 2 के शासनादेश दि0 23.08.2017, दि0 25.08.2017 तथा दि0 29.08.2017 जिसमें जेम पोर्टल पर सामाग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है के अनुसार क्रय किया जाएगा ।

(4) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के संबंध में की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(5) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरण किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा ।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) निर्माण कार्य निधारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश दिनांक- 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक - 24.03.2020, शासनादेश दिनंाक- 07.04.2020 एवं 29.09.2020 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक- 28.08.2014 एवं दि0 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(11) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(12) निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाले धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए कि आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाए।

(13) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(14) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु निर्माताओं प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें चूंकि इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे मेक माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है ।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80 - सामान्य-051- निर्माण-03 कारागारों का उच्चीकरण , नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-E-12-3579-X-2021-22- दिनांक-31.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-79/2022/1375(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद/ इटावा।
(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार, फतेहगढ़/इटावा ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in